न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 83/2021 तारीख दायर :–13.12.2021 दिनांक निर्णय :–23.02.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का धमरेड़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर (2021/139)

बनाम

1 रमेशचन्द पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ अलवर
2 रूपबसन्त पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ अलवर
3 घनश्याम पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ अलवर

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का धमरेड़ द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की गैरसायल रमेशचन्द, रूपबसन्त, घनश्याम पुत्रान रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा ग्राम धमरेड़ की राजकीय सिवायचक गैर मु0 श्मशान भूमि के आ0ख0न0 645 रकबा 0.21 हे0 में से रकबा क्रमश 0.02 हे0 भूमि पर पाटोल लगाकर सम्वत् 2078 मे अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल रमेशचन्द, रूपबसन्त, घनश्याम पुत्रान रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी धमरेड की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र शर्मा ने उपस्थित होकर गैरसायल की ओर से वकालतनामा व नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें गैरसायल मदनलाल, राधेश्याम, शिम्भूदयाल पुत्रान ख्यालीराम द्वारा पिछले करीब 50 वर्ष से लगातार बुर्जगान के समय से उठने बेठने के काम में लेते चले आ रहे है, धारा 91 की रिपोर्ट के सम्बंध में पटवारी हल्का धमरेड़ के बयान दर्ज किये गये। जिसने अपने बयान में कथन किया है कि अतिक्रमी द्वारा सम्वत् 2078 में पाटोल लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। गैरसायल काबिल बेदखली है।

गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत वाके ग्राम धमरेड़ के आ0ख0न0 645 रकबा 0.21 हे0 में से रकबा क्रमश 0.02 हे0 से बेदखली के आदेश पारित किये जाते है, साथ ही शरह लगान की 1.00 की 50 गुणा राशि 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ व पटवारी हल्का धमरेंड़ को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का व भू0अ0निरीक्षक को निर्देश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की नकल से अवगत करावे।

तहसीलदार

आज दिनांक 23.02.2022 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया